रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1339] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 8, 2006/कार्तिक 17, 1928
No. 1339] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 8, 2006/KARTIKA 17, 1928

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2006

का.आ.1911(अ).— केन्द्रीय सरकार, जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 15 की उपधारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित मार्गनिर्देश बनाती है, अर्थात् :-

1.(1) इन मार्गनिर्देशों का नाम संस्थाओं के बीच जिनके अंतर्गत सरकारी प्रायोजित संस्थाएं भी हैं और अन्य देशों में ऐसी संस्थाओं के बीच जैवीय संसाधनों या उनसे संबंधित जानकारी का अन्तरण या विनिमय अन्तर्वलित करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग अनुसंधान परियोजनाओं के लिए मार्गनिर्देश है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे

(3) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जैवीय अनुसंधान परियोजनाओं को जैव विविधता अधिनियम, 2002 (इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 8 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से अनुमोदन अभिप्राप्त करने से छूट देती है और यह कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग अनुसंधान परियोजनाओं में जो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय करार के अंतर्गत समझौता ज्ञापन के अधीन प्रायोजित हैं और कार्य योजना आदि में जैव संसाधनों के अन्तरण और विनिमय की आवश्यकता से इंकार नहीं किया जा सकता, ये मार्गनिर्देश पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अधिनियम के उक्त उपबन्धों के अनुपालन में और ऐसी अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अधिसूचित किए जाते हैं ।

2. (1) **सहयोगी अनुसंधान परियोजना प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगी कि,—**

(क) प्रत्येक सहयोगी संस्था में मुख्य अन्वेषक, जो सभी अनुपालनों के लिए उत्तरदायी होगा तथा किसी उल्लंघन की दशा में इस व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जाएगा । मुख्य अन्वेषक की पहचान में परिवर्तन केन्द्रीय सरकार के संबद्ध विभाग/ मंत्रालय को सूचित किए जाने चाहिएं ;

(ख) परियोजना के अधीन विनिमय या अन्तरण के लिए आशयित भारत में उत्पन्न होने वाले जैव संसाधनों के ब्योरे और उससे सहयोजित ज्ञान जैसे जैव नाम, मात्रा, प्रयोजन, स्रोत, संग्रहण का स्थान और ऐसे अन्य क्रियाकलाप ;

(ग) जैव संसाधन और सहयोजित ज्ञान में महत्व वृद्धि, यदि कोई हो ;

(घ) ऊपर (ख) में निर्दिष्ट जैव संसाधन की दशा में तत्समय भारत में प्रवृत्त किसी विशेष कानून के अधीन या किसी अन्तर्राष्ट्रीय करार के अधीन कोई विशेष प्रास्थिति, उसके ब्योरे सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति सहित उपलब्ध कराए जाएं ;

(2) सहयोगी विद्यमान राष्ट्रीय विधियों, विनियामक तंत्र और अंतर्राष्ट्रीय करारों या संधियों के उपबन्धों का पालन करेंगे ।

(3) ऐसी परियोजनाओं के अधीन विनिमय या अन्तरण के लिए आशयित जैव संसाधनों और सहयोजित ज्ञान के उपयोग केवल ऊपर उप पैरा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट अनुसंधान प्रयोजनों के लिए किया जाएगा ।

(4) अन्तरित या विनिमय किए जाने के लिए आशयित जैव संसाधन(नों) की मात्रा उस मात्रा तक सीमित होगी जो प्रस्ताव में यथाविनिर्दिष्ट प्रयोजनात्मक प्रयोजन के लिए आवश्यक है और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा विकसित पहुंच और सामग्री अन्तरण मार्गनिर्देशों के अनुसार है ;

(5) उस दशा में जहां इस परियोजना से अनुसंधान परिणाम बाद में किन्हीं बौद्धिक संपदा अधिकारों की ओर अग्रसर होने के लिए साबित होते हैं वहां सहयोगी भागीदार बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए आवेदन फाइल करने से पूर्व, अधिनियम की धारा 6 के उपबन्धों के

अनुसरण में राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण (अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित) के साथ नए सिरे से करार करेंगे ।

(6) भारत में पाए जाने वाले जैव संसाधनों का परियोजना के अधीन अन्तरित किए गए और विनिमय किए गए नमूनों के वाऊचर अधिनियम की धारा 39 के अनुसार अभिहित संग्राहक को भेजे जाएंगे ।

(7) भारत के मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों और सरकारी संस्थाओं के वास्तविक वैज्ञानिकों / आचार्यों, जो वर्गीकीय टाक्सनामिक अध्ययन में लगे हैं, के लिए सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं की दशा में जिनमें उधार पर या किन्हीं अन्य निबन्धनों पर भारत के वनस्पति संग्रहालय को मृत अथवा संरचित नमूने विनिमय करना और अन्तरण करना अन्तर्वलित है, यह केवल भारत सरकार के संबद्ध विभाग / मंत्रालय के अनुमोदन से किया जाएगा ।

(8) सहयोगी परियोजना के अनुसंधान परिणामों को किसी तृतीय पक्षकार को किसी रीति में इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्रादिकरण के साथ करार किए बिना संसूचित या अन्तरित नहीं करेंगे ।

(9) ऐसी परियोजनाओं के अनुसंधान परिणामों के धार पर अनुसंधान पेपर, पुस्तक, बुलेटिन, रजिस्ट्रीकृत अभिगमन और निष्कर्ष का प्रकाशन भारतीय सहयोगी के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा ।

(10) परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान, भारत से जैव संसाधनों के विनिमय या अन्तरण से सहयोजित कोई ज्ञान ऐसे ज्ञान के दस्तावेजीकरण को सुकर बनाने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को रिपोर्ट किए जाएंगे ।

(11) सहयोगी परियोजना के अधीन भारत से विनिमय किए गए और / या अन्तरित किए गए जैव संसाधन से सहयोजित ज्ञान के संबंध में कोई प्रकाशन से उस ज्ञान धारक की अभिस्वीकृति होगी जिससे ज्ञान अभिप्राप्त किया गया था ।

(12) परियोजना के माध्यम से अन्वेषण किए गए या विकसित किए गए वर्गक, नस्ल, आनुवंशिक स्टाक, जीवाणु समूह, प्रवृत्ति या पद्धति राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को रिपोर्ट की जाएगी और नमूना वाउचर अधिनियम के अनुसार अभिहित संग्राहक के पास जमा किया जाएगा ।

(13) सहयोगी अनुसंधान परियोजना को राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के संबद्ध मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

(14) सुसंगत ब्यौरो सहित अनुमोदन की एक प्रति राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को भेजी जाएगी ।

(15) जैव विविधता अधिनियम, 2002 के बारे में और अधिक ब्यौरे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और संबंधित मुद्दे www.nbaindia.org पर संपर्क करें ।

[फा. सं. 26/4/2006-सी.एस.सी.]
देश दीपक वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION
New Delhi, the 8th November, 2006

S.O. 1911(E).— *In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 5 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003) the Central Government hereby makes the following guidelines namely:-*

1.(1) These guidelines may be called the Guidelines for International Collaboration Research Projects Involving Trasfer or Exchange of Biological Resources or Information relating thereto between institutions including government sponsored institutions and such institutions in other countries.

(2) They shall come in to force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) In view of the fact that collaborative research projects have been exempted from obtaining approval of the National Biodiversity Authority established under section 8 of Biological Diversity Act, 2002, (hereinafter referred to as the Act) and that the need for transfer and exchange of biological resources cannot be ruled out in such projects, *sponsored under the bilateral and multi-lateral agreement, Memorandum of Understanding and work plan etc. under the International Collaborative Research Projects,* these guidelines are hereby notified by the Ministry of Environment and Forests in compliance with the said provisions of the Act and for such research projects.

4 (1) The collaborative research project shall clearly state in the proposal,-

(a) the key investigator(s) in each of the collaborating institution, who shall be responsible for all compliances and in case of any contravention, this person will be held responsible. Changes in the identity of the key investigator should be intimated to the concerned Department/Ministry of the Central Government;

(b) details of biological resources occurring in India and knowledge associated thereto, intended to be exchanged or transferred under the project, such as biological name, quantity, purpose, source, place of collection and such other activities;

(c) value addition, if any, to the biological resource and associated knowledge;

(d) in case the biological resource referred to in (b) above has any special status under any law in force in India or any international agreement, the details of the same may be provided, including necessary clearances from competent authority.

(2) The collaborators shall abide by the provisions of existing national laws, regulatory mechanisms and international agreements or treaties.

(3) The biological resource(s) and associated knowledge intended to be exchanged or transferred under such projects shall be used only for the research purpose specified in clause (b) of sub-paragraph (1) above.

(4) The quantity of biological resource(s) intended to be transferred or exchanged shall be limited to the quantity necessary for experimental purpose, as specified in the proposal and as per the access and material transfer guidelines developed by National Biodiversity Authority.

(5) In case the results of research from this project subsequently prove likely to lead to any Intellectual Property Rights, the collaborating partners shall enter into a fresh agreement with National Biodiversity Authority (established under section 8 of the Act) to ensure sharing of benefit in accordance with provisions of section 6 of the Act, prior to filing of the application for Intellectual Property Rights(s).

(6) The voucher specimen of the biological resource occurring in India transferred or exchanged under the project shall be sent to the designated repository in accordance with section 39 of the Act.

(7) In case the collaborative research projects involve exchange and transfer of dead or preserved specimen(s) and /or herbarium(s) of India on loan or on any other terms, for taxonomic studies as required by bona-fide scientists/professors of recognized universities and Government Institutions of India who are engaged in pure classical taxonomic studies, this shall be done with the approval of concerned Departments/Ministries of the Government of India.

(8) Collaborators shall not communicate or transfer research results of the collaborative project to any third party in any manner without entering into an agreement with the National Biodiversity Authority for this purpose.

(9) Publication of Research paper(s), book(s), bulletin(s), registered accession(s) and output(s) based on the results of the research of such projects, shall not be done without the prior approval of the Indian collaborator.

(10) During the course of the implementation of the project, any knowledge associated with exchanged or transferred biological resource from India shall be reported to National Biodiversity Authority for facilitating documentation of such knowledge.

(11) Any publication(s) relating to knowledge associated with biological resource exchanged and/or transferred from India under the collaborative project shall acknowledge the knowledge holders from whom this knowledge was obtained.

(12) Any new taxon, breed(s), genetic stock(s), culture(s), strain(s) or line(s) discovered or developed through the project shall be reported to the National Biodiversity Authority and a voucher specimen shall be deposited with the designated repository in accordance with Act.

(13) The collaborative research project shall have to be approved by the concerned Ministry/Department of the State or the Central Government.

(14) A copy of the approval along with all relevant details shall be sent to the National Biodiversity Authority

(15) For more details about Biological Diversity Act, 2002, National Biodiversity Authority and related issue log on www.nbaindia.org.

[F. No. 26/4/2006-CSC]
DESH DEEPAK VERMA, Jt. Secy.